न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 08/2011

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां (राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल एन.पी.आई किराना स्टोर बस स्टेण्ड नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां

(अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :– 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री गजेन्द्र पंचौली अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक– 18.11.2022

1– प्रार्थी श्री प्रहलाद मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि "शुद्ध के लिए युद्ध अभियान" के तहत जिला रसद अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम के साथ दिनांक 23.10.2011 को एन.पी.आई किराना स्टोर, बस स्टैंड, नाहरगढ़ तहसील किशनगंज के यहां छापामार कार्यवाही के दौरान गोदाम की जांच करने पर 40 बोरी शक्कर (कुल 40 क्वि.) अवैध रूप से एन.पी.आई किराना स्टोर के मालिक श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल द्वारा भण्डारित पाई गई। श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल से चीनी के बिल व आर.टी.ए. एल. लाईसेंस मांगने पर उन्होंने बिल व लाईसेंस नहीं होना बताया। बिना लाईसेंस 40 क्वि. चीनी का भण्डारण व विक्रय करना राज. व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के उपबन्धों का उल्लघन है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6'ए' के तहत जब्तशुदा 40 बोरी (कुल 40 क्वि.) चीनी (मय बारदाना) को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

2– इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र असत्य है क्योंकि पुरुषोत्तम खण्डेलवाल एन.पी.आई. किराना स्टोर का व्यापार नहीं करता है बल्कि खण्डेलवाल रोड लाईन्स के नाम से ट्रान्सपोर्ट का व्यापार करता है। एन.पी.आई किराना स्टोर पर पुरुषोत्तम खण्डेलवाल का पुत्र नवनीत बैठता है, वही उक्त दुकान का प्रोपराईटर है। इसलिये ट्रान्सपोर्ट के गोदाम से 40 बोरी शक्कर बरामद करने पर राज. ट्रेड आटिकल्स लाइसेंस के प्रावधान लागू नहीं होते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:43 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] ही जप्तशुदा शक्कर अवैध भण्डारण की श्रेणी में आती है। जप्तशुदा 40 बोरी शक्कर को महेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी बारां बिल्टी डिलेवरी से खण्डेलवाल रोड लाईन्स नाहरगढ़ प्रो0 पुरूषोत्तम खण्डेलवाल को भेजी थी। भेजी गयी शक्कर में से एन.पी.आई किराना नाहरगढ़ की 9 बोरी, इन्द्रेश किराना नाहरगढ़ की 9 बोरी, ओम किराना, नाहरगढ़ की 9 बोरी, एन.पी.आई एजेन्सी नाहरगढ़ की 9 बोरी एवं 5 क्वि. बोरी तोमर रेस्पो0 मिठाई सेन्टर नाहरगढ़ की भेजी हुई थी। शक्कर को संबंधित दुकानदार आकर ले जाते परंतु रविवार के त्यौहार दिवाली की वजह से नहीं ले जा सके, जिससे ट्रान्सपोर्ट के गौदाम में रखी हुई थी जो अवैध भण्डारण की श्रेणी में नहीं थी। अतः उक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाना विधिसंगत एवं न्यायहित में होगा।

3— जवाब प्राप्त होने पर हमने बहस हेतु प्रकरण नियत किया। हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार रसद एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी की सुनी गई।

4— बहस के दौरान प्रार्थी पेरोकार रसद ने इस्तगासा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ''शुद्ध के लिये युद्ध'' अभियान के तहत जिला रसद अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम के साथ दिनांक 23.10.2011 को एन.पी.आई किराना स्टोर नाहरगढ़ तहसील किशनगंज छापामार कार्यवाही के दौरान गोदाम की जांच पर 40 बोरी शक्कर (कुल 40 क्वि.) अवैध रूप से एन.पी.आई किराना स्टोर के मालिक श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल द्वारा भण्डारित पाई गई। बिना लाईसेंस 40 क्वि. चीनी का भण्डारण व विक्रय करना राज. व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के उपबन्धों का उल्लघन है। अतः जब्तशुदा 40 बोरी (कुल 40 क्वि.) चीनी (मय बारदाना) को धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रस्तुत शपथ पत्र उपभोक्ताओं का अवलोकन करवाते हुए कथन किया कि पुरूषोत्तम खण्डेलवाल एन.पी.आई. किराना स्टोर का व्यापार नही करता है, बल्कि अप्रार्थी खण्डेलवाल रोड लाईन्स के नाम से ट्रान्सपोर्ट का व्यापार करता है। एन.पी.आई किराना स्टोर पुरूषोत्तम खण्डेलवाल का पुत्र नवनीत है, वही उक्त दुकान का प्रोपराईटर है। जप्तशुदा 40 बोरी शक्कर को महेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी बारां बिल्टी डिलेवरी से खण्डेलवाल रोड लाईन्स नाहरगढ़ प्रो0 पुरूषोत्तम खण्डेलवाल को भेजी थी। भेजी गयी शक्कर में से एन.पी.आई किराना नाहरगढ़ की 9 बोरी, इन्द्रेश किराना नाहरगढ़ की 9 बोरी, ओम किराना, नाहरगढ़ की 9 बोरी, एन.पी.आई एजेन्सी नाहरगढ़ की 9 बोरी एवं 5 क्वि. बोरी तोमर रेस्पो0 मिठाई सेन्टर नाहरगढ़ की भेजी हुई थी। जो अवैध भण्डारण की श्रेणी में नहीं थी। अतः उक्त कार्यवाही को निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:43 IST
Reason: SelfAttested

6— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया। जिससे पाया जाता है कि प्रार्थी श्री प्रहलाद मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, बारा द्वारा जिला रसद अधिकारी एवं चिकित्सा विभाग की संयुक्त टीम के साथ ''शुद्ध के लिये युद्ध'' अभियान के दौरान दिनांक 23.10.2011 को एन.पी.आई किराना स्टोर नाहरगढ़ तहसील किशनगंज छापामार कार्यवाही के दौरान गोदाम की जांच पर 40 बोरी

न्यायालय जिला कलैक्टर

…कर (कुल 40 क्वि.) अवैध रूप से एन.पी.आई किराना स्टोर के मालिक श्री पुरूषोत्तम खण्डेलवाल द्वारा भण्डारित पाई गई। बिना लाईसेंस 40 क्वि. चीनी का भण्डारण व विक्रय करना राज. व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के उपबन्धों का उल्लघन है। अतः जब्तशुदा 40 बोरी (कुल 40 क्वि.) चीनी (मय बारदाना) को राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7— परिणामस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा 40 बोरी (कुल 40 क्वि.) चीनी मय बारदाना को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा चीनी 40 बोरी मय बारदाना की राजकीय अमानत मद में जमाशुदा राशि विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.25 11:05:43 IST
Reason: SelfAttested